20.3.18 पत्रावली पेश हुई। वकील साक्षी उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो वकील साक्षी ने कायम मुकाम का शपथ आज तक भी पेश नहीं किया है इससे जाहिर है कि साक्षी अपने शपथ को आगे नहीं चलाना चाहते हैं अतः। साक्षी का शपथ न्यायालय के आदेश की अवहेलना में खारिज किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
साँभर लेक

/pur/2449/2006

Scanned by CamScanner